अशोक कुमार चौधरी

CHIEF SECRETARY
GOVT. OF BIHAR
मुख्य सचिव, बिहार सरकार
Main Secretariat, Patna 800015
मुख्य सचिवालय, पटना-800015
Tel 0612-2223804
Fax 0612-2222085

पत्रांक– सी0एस01/ए01–107/99 15
दिनांक 4 जनवरी, 2007

सेवा में,

सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव,
बिहार, पटना ।

विषय : मंत्रिपरिषद के निर्णय हेतु उपस्थापित किये जाने वाले संलेख प्रस्तावों के संबंध में मार्ग दर्शन।

महोदय,

आप अवगत हैं कि कार्यपालिका नियमावली के प्रावधानों के तहत विशेष परिस्थिति में जब किसी बिन्दु पर मंत्रिपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक हो गया है, उसी स्थिति में माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है । संबंधित विभाग के आयुक्त एवं सचिव/सचिव का यह उत्तरदायित्व है कि वे मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में उक्त प्रस्ताव में घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त कर लें । किसी भी हालत में तीन सप्ताह के अन्दर इसे अवश्य प्राप्त कर लें । सुलभ प्रसंग हेतु कार्यपालिका नियमावली का नियम–15 उद्धृत किया जा रहा है :–

"तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी मामले प्रभारी मंत्री द्वारा विचारित हो जाने के बाद परिषद सचिव (मंत्रिमंडल सचिवालय) के मार्फत मुख्य मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे ताकि उन मामलों को नियम 16 के अधीन परिचारित करने या परिषद की बैठक में विचारार्थ रखने या अत्यावश्यक परिस्थिति में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्रवाई करने के लिये प्राधिकृत करने के लिये मुख्य मंत्री का आदेश प्राप्त किया जाये । **जहाँ परिषद की स्वीकृति प्रत्याशित है, संबद्ध विभाग तीन सप्ताह के अन्दर परिषद की बैठक में विचारार्थ एक संलेख उपस्थापित करेंगे ।**" कृपया इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करें ।

2. यह भी देखा जा रहा है कि कुछ विभागों के संलेख में प्रस्ताव की गोपनीयता नहीं बनी रहती है । आप अवगत हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के पूर्व किसी को भी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत भी कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है । अतः आप से अनुरोध है कि आप अपने विभाग में ऐसी व्यवस्था करें, जिससे कि मंत्रिपरिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत संलेख में निहित प्रस्ताव की गोपनीयता अक्षुण रहे ।

विश्वास भाजन,

अशोक कुमार चौधरी 3/1/07

(अशोक कुमार चौधरी)